न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

श्री मधुसूदन बनाम कचनादेवी

क्रम	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	वाद - स्थाई निषेधाज्ञा 132/2011	
	01.5.18. पत्रावली वाद आदेश हेतु अभियान श्रमिकों आरवी में प्रस्तुत हुई। प्रतिवादी ने वादी के वाद वादत सहमति दी। पुश्तैनी जमीन होने से कचनादेवी पुत्र गणेश ने अपने हिस्से में अपने पुत्र श्री मधुसूदन, कमल सैनी, मुकेश, संतरा, मुकेश, मुकेश के निमित्त हिस्सा 1/7 बनता है इस सूरत में वाद के बाद 09/18 के निर्णय पश्चात 3/10 हिस्सा तथा ग्राम दीलवाली में प्राप्त हिस्सा सं. 982, 986, 987, 988, 990, 991, 992, 993, सिंचित 8 बीघा (5.56 है) में से कचनादेवी पुत्र गणेश की प्राप्त (0.70 + 0.139 है.) के 1/7 हिस्से को प्रतिवादी बेचान नहीं करे इस बाबत स्थायी निषेधाज्ञा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नस्ती में बस्ते की जगह दाखिल दफ्तर रहे। निर्णय आज दिनांक 01.5.2018 को निर्णयालय में सुनाया गया।	

(बृजलाल जाट)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Scanned by CamScanner